अप्रैल 2014 से जून 2014 तक की विभागीय उपलब्धियों का विवरण

1. प्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 1479 निरीक्षण किये गये।
2. पाये गये उल्लंघनों में 440 उपशमन एवं अभियोजन दायर किये गये।
3. प्रदेश में निस्तारित दावों/औद्योगिक विवादों (सी.पी.(**Conciliation Proceding)** सी.बी. **(Conciliation Board)** की संख्या 70 है।
4. प्रदेश में वेतन सदांय अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम व ग्रेच्युटी अधिनियम के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये श्रमिकों/मृतक श्रमिकों के आश्रितों की संख्या 19 है जिन्हें रू0 6,39,861 की धनराशि भुगतान करायी गयी।
5. प्रदेश में बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत 2334 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया तथा उन्हें रू0 1,83,76,961 की धनराशि बोनस के रूप में भुगतान करायी गयी।
6. प्रदेश में श्रमिकों एवं नियोजकों के मध्य उत्पन्न 02 औद्योगिक विवादों के समझौते कराये गये।
7. प्रदेश में ट्रेड यूनियन अधिनियम के अन्तर्गत 02 यूनियनों का पंजीकरण तथा 39 वार्षिक कार्यकारणी के चुनाव दर्ज किये गये।
8. प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन कर कर्मकारों के पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है तथा 10449 श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से की जा रही हैं।
9. प्रदेश में कुल 3333 कारखाने पंजीकृत हैं जिनमें लगभग 345000 श्रमिक नियोजित हैं। प्रदेश में उक्त अवधि में 23 नये कारखाने पंजीकृत किये गये हैं।
10. प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियम) अधिनियम 1996 के अन्तर्गत उपकर (सेस) के रूप में कुल 51.61 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुयी है।
11. प्रदेश में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन/नवीनीकरण एवं उपशमन आदि स्रोतों से लगभग 16,97,431 की धनराशि राजस्व के रूप में प्राप्त हुई है।